न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

<u>एफ एस प्रकरण संख्या</u> 04 / 2024 (2024 / 29)

<u>प्रार्थी</u>

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

टीकूराम पुत्र जेठाराम, फर्म मैसर्स सूर्या स्वीट होम बेकरी एंड फास्ट फूड, स्वागत पोल के पास, चाड़ी चौराहा, ओसियां, जोधपुर। निवासी हनुमानपुरा, जीयाबेरी, निम्बा का गांव, जोधपुर।

—:<u>आदेश</u> :— दिनांक :— 05.04.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.07.2023 को सुरेश कुमार माली बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग फर्म मैसर्स फर्म मैसर्स सूर्या स्वीट होम बेकरी एंड फास्ट फूड, स्वागत पोल के पास, चाड़ी चौराहा, ओसियां, जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय एफबीओ / मालिक की हैसियत से टीकूराम पुत्र जेठाराम उपस्थित मिले तथा आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ दही, मिठाई, नमकीन व अन्य खाद्य सामाग्री बेचने हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। उक्त खाद्य पदार्थ मालिक से वर्ष 2023 का खाद्य अनुज्ञा—पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसएआई रजि0 22223074000141 एवं स्वयं का आधार कार्ड पेश किया। प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने मिठाई एवं फास्ट फूड दुकान परिसर में एक स्टील की तगारी में दही (भैस के दूध से निर्मित) लगभग 8 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट / अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 60 / — नगद देकर 800 ग्राम दही (भैस के दूध से निर्मित) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त दही (भैस के दूध से निर्मित) को 200 ग्राम प्रति नमूना के हिसाब से प्लास्टिक की चार साफ सुखी बोतलो में डालकर प्रत्यके बोटल में 16 बूंद फार्मेलिन डालकर बोटल्स को एयर टाईट बन्द कर नियमानुसार नमूनीकरण किया गया तथा इनके ऊपर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम—3693 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम—3693 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं [illegible] एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर[illegible] से चिपकाई चारों नमूनों को अलग—अलग मोटे मजबूत धागे [illegible] गांठ लगाई प्रत्येक नमु[illegible] नियमानुसार चार—चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर[illegible] एक पेदें पर एक बॉडी [illegible]वं एक धागे

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:15 IST
Reason: SelfAttested

की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–3693 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–3693 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 16.07.2023 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 16.07.2023 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 1026–1027 दिनांक 04.08.2023 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 1968 / एक्ट / 2023 / 2012 दिनांक 27.07.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही (भैस के दूध से निर्मित) का नमूना Milk fat के निर्धारित मानक Minimum 5% के स्थान पर 1.38% होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्राथी दिनांक 28.03.2024 को स्वयं उपस्थित हुए। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस दिनांक 28.03.2024 को सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05.04.2024 को रखी गई।

प्रार्थी ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से दही (भैस के दूध से निर्मित) का सैम्पल लिया गया जो अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में अप्रार्थीगण पर अधिकतम से अधिकतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थीगण ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी द्वारा दही (भैस के दूध से निर्मित) का जो सैम्पल लिया गया वह दूध अन्य जगहों से लाया जाता है तथा उसमें अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। फिर भी अगर अप्रार्थी से किसी प्रकार की लापरवाही हुई है तो न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:15 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की मैसर्स फर्म मैसर्स सूर्या स्वीट होम बेकरी एंड फास्ट फूड, स्वागत पोल के पास, चाड़ी चौराहा, ओसियां, जोधपुर, से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु दही (भैस के दूध से निर्मित) का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही (भैस के दूध से निर्मित) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी टीकूराम पुत्र जेठाराम पर शास्ती रूपये 10,000/– अक्षरे रूपये दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 05.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. टीकूराम पुत्र जेठाराम, फर्म मैसर्स सूर्या स्वीट होम बेकरी एंड फास्ट फूड, स्वागत पोल के पास, चाड़ी चौराहा, ओसियां, जोधपुर। निवासी हनुमानपुरा, जीयाबेरी, निम्बा का गांव, जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:15 IST
Reason: SelfAttested